

E-Meet

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(3)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 16.01.2017

—:: आज्ञा ::—

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09.01.2017 द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को उन्हें आवंटित आवास के स्थान पर निम्नलिखित शर्तों पर आवास का परिवर्तन किया जाता है:-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावे।
5. ट्रांजिट हॉस्टल के आवास में रहने वाले अधिकारी को मूल वेतन का प्रमाण-पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वरियता संख्या	ग्रेड-पे	आवंटित आवास संख्या
1	श्रीमती सविता दहिया, आईएफएस (प्रशिक्षु) मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, जयपुर	12/2016	5400/-	01 OTH के स्थान पर जी-3/3NTH का परिवर्तन।

राज्यपाल की आज्ञा से


(इन्द्र सिंह राव)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावे। साथ ही उक्त परिवर्तित आवास का कब्जा प्राप्त कर पूर्व में आवंटित आवास रिक्त कर कब्जा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर को संभलवाते हुए इस विभाग को सूचित करने की व्यवस्था करावे। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है। साथ ही आवंटी को पूर्व में आवंटित आवास को रिक्त करने की रिपोर्ट इस विभाग में भिजवाना सुनिश्चित करावे।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग- आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावे।
6. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग-कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डाले।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

Room No. 1124 Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Tel.No. (J.S.)-0141-2227874/9414002721 (AS) 9829075214 (Fax)-5116626, 2227928, 2227586

WebSite: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-dsgad.rajasthan@gmail.in, anilkumar.gupta@rajasthan.gov.in

D:\backup\backup E\GAD-(5)2014\Nanu la\TRANSIT HOSTEL LETTERS.docx. 116